आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
08.10.15	न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं0 43/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम **अर्जुन सिंह, थाना–दरियापुर** आदेश इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.15 (ज्ञापांक 787/न्या0,दिनांक 07.10.15 के द्वारा संसूचित) के द्वारा पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को निर्देश दिया गया था कि वे थानाध्यक्ष,दरियापुर के द्वारा अबतक नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्रेषित नहीं करने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछना सुनिश्चित करें, एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें। साथ ही, थानाध्यक्ष,दरियापुर को निदेशित करें कि वे विपक्षी को जिला विधि शाखा में दिनांक 12.10.2015 को उपस्थित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के ज्ञापांक आर0 3258/गो0, दिनांक 06.10.2015 के द्वारा प्रेषित पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 08.10.2015 को प्राप्त है, के साथ संलग्न कर वाद संख्या 39/15, 40/15, 41/15, 42/15 एवं 43/15 का तामिला प्रतिवेदन संलग्न कर प्रेषित किया गया है। इनमें वाद संख्या 43/15 पर संबंधित चौकीदार के द्वारा प्रतिवेदन अंकित किया गया है कि विपक्षी के द्वारा नोटिस लेने से इंकार किया गया है। अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं यह पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि नोटिस लेने से इंकार करना का स्पष्ट अर्थ है कि विपक्षी अर्जुन सिंह, पे0–हरिनंदन सिंह, सा0–दरिहारा चतुर्भुज, थाना–दरियापुर, जिला–सारण एक आदतन अपराधी है, एवं आसन्न बिहार विधान सभा निर्वाचन 2015 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालन में उसके द्वारा बाधा उत्पन्न करने की आशंका है। अतः बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई आवश्यक हैं। अतः उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निदेश देता हूँ कि विपक्षी को इस आदेश की प्राप्ति से दिनांक 12.11.2015 तक **जिला बदर** किया जाता है। **विपक्षी को निर्देश है कि वे आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर** जिला विधि शाखा, सारण, छपरा में इस आशय का **शपथ पत्र उपलब्ध कराना** सुनिश्चित करें कि जिला बदर की अवधि के **दौरान वे विहार के किस जिला के** किस थाना के अंतर्गत निवास करेंगे, ताकि **संबंधित जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से विपक्षी के निकटवर्ती थाना में प्रतिदिन दो बार 9 बजे प्रातः** एवं सायं **5.00 बजे अपनी हाजिरी अंकित करने संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन**	

प्राप्त किया जा सके।

विपक्षी को निर्देश है कि वे अविलंब विभाग के द्वारा प्रावधानित **संलग्न प्रपत्र में रूपये** 20,000(बीस हजार) मात्र का इस आशय से संबंधित बंधपत्र एवं इतनी ही राशि की दो स्वतंत्र प्रतिभूतियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें कि आगामी विधान सभा चुनाव 2015 में उनके द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। आदेश एवं बंधपत्र की शर्त्तों की अवहेलना की स्थिति में विपक्षी के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

इस जिले में मतदान दिनांक 28.10.2015 को निर्धारित है। विपक्षी को निर्देश है कि मतदान की तिथि को सर्वप्रथम दरियापुर थाना पर प्रातः 7:00 बजे अपनी हाजरी अंकित करेंगे तथा संध्या 6:00 बजे तक थाना पर ही मौजूद रहेंगें। थानाध्यक्ष दरियापुर को निर्देश है कि वे अपनी देख-रेख में विपक्षी को उनसे संबंधित बूथ पर ले जाकर मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगें।

उक्त आदेश की अवधि दिनांक 12.11.2015 को संध्या 6:00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात् यह स्वतः विलोपित समझा जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित

08/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा

08/10/15

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 822 /न्या0,दिनांक 8.10.15

प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक,सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः-थानाध्यक्ष,दरियापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अर्जुन सिंह, पे0-हरिनंदन सिंह, सा0-दरिहारा चतुर्भुज, थाना-दरियापुर, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

8/10/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

8/10/15